सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 कार्तिक 22, गुरुवार, शाके 1947–नवम्बर 13, 2025 अंक 33
Vol. 77 Kartika 22 , Thursday, Saka 1947–November 13, 2025 No. 33

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/ उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियन, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर.–187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में)

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता बबीता चौधरी (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व बबीता कुमारी (पुराना नाम) कहलाता था/कहलाती थी एवं जो ग्राम सेवक एवं पेदन सचिव (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में पंचायत समिति, रेवदर, जिला–सिरोही (स्थान जहाँ राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी, एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरे मेरे पति/पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों, मेरे पूर्व नाम बबीता उपनाम कुमारी (सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम बबीता तथा उपनाम चौधरी ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम कुमारी (केवल) से न जाने जाए तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम चौधरी द्वारा जाने जाए।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी, समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों, एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम बबीता तथा उपनाम कुमारी (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में बबीता नाम के रूप में तथा चौधरी उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा/ करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी/पति मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम बबीता उपनाम चौधरी के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम बबीता कुमारी तथा बबीता चौधरी का वर्णन किया है तथा दिनांक 08–07–2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम बबीता चौधरी द्वारा जो पूर्व में बबीता कुमारी कहलाता था/कहलाती थी, हस्ताक्षर किये है।

साक्षीः–

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री खुबी राम
सहायक लेखा अधिकारी 2
2. राजेश कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह
सहायक विकास अधिकारी

हस्ताक्षर
(नया नाम)– बबीता चौधरी
(पुराना नाम)– बबीता कुमारी

प्रतिहस्ताक्षर
सीताराम
विकास अधिकारी
पंचायत समिति झुन्झुनूं।

20745

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।